<u>माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.13 को आयोजित राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही</u> :-

<u>उपस्थिति :- अनुलग्नक-1 के अनुसार ।</u>

1. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया । तत्पश्चात माननीय मंत्री ने सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को कार्यावली के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया ।
2. पिछली बैठक दिनांक 24.06.13 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी ।
3. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन का गहन अवलोकन करके संतोष व्यक्त किया गया ।
4. अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में सर्वप्रथम सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उनके विभाग में कार्यान्वित हो रही केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया । उन्होंने सूचित किया कि राज्य में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं नक्शे के डिजिटलाईजेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है । उन्होंने बताया कि अब ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसके आधार कम्प्यूटराईज्ड नक्शे अल्प समय में आवेदकों को मिल सकेंगे । विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया ।
5. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मल भारत अभियान के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया । निर्मल भारत अभियान के मुख्य प्रावधानों से अवगत कराया गया । निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के समाहरण से वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण संबंधी सरकार के निर्णय से अवगत कराया । विचार-विमर्श के क्रम में माननीय सदस्यों द्वारा स्वच्छता अभियान को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया और वैयक्तिक शौचालयों के रखरखाव तथा स्वच्छता अधिष्ठापन के लिए जल स्रोत की उपलब्धता की आवश्यकता इंगित की गयी ।
6. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में सामान्य जानकारी दी गयी । तदोपरांत सभी उपस्थित सदस्यों ने निम्नवत विचार रखे :-

(i) श्री श्रवण कुमार, माननीय विधायक द्वारा जोर दिया गया कि स्वच्छता अधिष्ठापन के कार्य की सरजमीन पर स्पष्ट जानकारी हो, इसके लिए गहन प्रशिक्षण आयोजित किया जाय । उन्होंने पूर्णता प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किए गए प्रपत्र को और सुगम करने की

आवश्यकता पर बल दिया । सर्वसम्मति से विचारोपरांत इस पर यह निर्णय लिया गया कि इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों के घरों में शौचालय निर्माण के संदर्भ में पंचायत सचिव एवं प्रखंड समन्वयक का संयुक्त प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा और ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित हो रहे शौचालय निर्माण की योजनाएं पंचायत रोजगार सेवक तथा प्रखंड समन्वयक का प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा ।

(ii) मो0 असरारूल हक, माननीय सांसद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्य हो रहे हैं । उन्होंने किशनगंज क्षेत्र में फिल्टर्ड पानी के परियोजनाओं के उपभोक्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने शौचालयों के अनवरत उपयोग हेतु कदम उठाने पर जोर दिया । उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत निजी तालाब निर्माण एवं मत्स्य पालन के समागम पर संतोष व्यक्त किया और इसे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किशनगंज जिले में अत्यधिक कम पथ लिए जाने पर विभाग से जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की और आग्रह किया कि उनके क्षेत्र के बचे हुए पथों का निर्माण कार्य शीघ्र होना चाहिए ।

(iii) श्री तारकेश्वर सिंह, माननीय विधायक द्वारा गरीब बसावटों के पास सामुदायिक शौचालय एवं अनवरत पानी आपूर्ति की योजनाएं अधिक से अधिक लेने की आवश्यकता पर बल दिया ।

(iv) श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रचार-प्रसार मद में उपलब्ध 4% की धनराशि का व्यापक उपयोग करके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया ।

(v) श्री रामकृपाल यादव, माननीय सांसद द्वारा मनरेगा के संदर्भ में सी.ए.जी. के रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा के संबंध में जानकारी चाही । उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया कि 5 वर्ष के रखरखाव की अवधि में सड़कें खराब हो रही है, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए । उन्होंने पटना जिले में लंबित सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष तौर पर लाई परेल पथ की ओर ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने सहरामपुर दुल्हिन बाजार पथ तथा इस पर कोपासीमा गॉव में पुल की आवश्कता को उद्धृत किया गया ।

(vi) श्रीमती अमिता भूषण, NGO Representative द्वारा बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के दो पथों के रखरखाव का मुद्दा केन्द्रित किया गया । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के बारे विस्तार से चर्चा की जाय ।

7. माननीय मंत्री महोदय ने अपने समापन संबोधन में सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उठाए गए सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर जानकारी उपलब्ध करायी और सभी

सदस्यों को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों का मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में खुलापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वयन कराया जा रहा है । श्री राम कृपाल यादव, माननीय सांसद द्वारा सी0ए0जी0 के रिपोर्ट के संबंध में उठाये गये बिन्दु पर यह जानकारी दी गयी कि विभाग के स्तर से अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जा चुका है । इसमें कुल 58 कंडिकाएँ थी जिसमें से 40 प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित थे और 18 में अनियमितता की शिकायत थी । इन सभी पर यथोचित कार्रवाई कर अनुपालन भेजा गया है ।

मनरेगा के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई राज्य स्तर से की गयी है यथा- लोकपाल की व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था कर निरीक्षण, statement of job आदि का प्रावधान । यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यान्वयन में खुलापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वुधवार को हर प्रखंड के कम से कम एक-एक ग्रामपंचायत का निरीक्षण वरीय उपसमाहर्ताओं द्वारा किया जाता है जो मनरेगा के कार्यान्वयन से भिन्न पदाधिकारी हैं । इसके तहत पिछले वर्ष से अब तक 300 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और लगभग 300 मनरेगा कर्मियों को सेवा मुक्त किया गया है ।

8. सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस समिति की उप समिति दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के जिले में सरजमीन का अध्ययन करके वस्तुस्थिति के ऑकलन हेतु क्षेत्र भ्रमण भी करेंगे ।

9. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया और बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

26.9.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक 16450 पटना, दिनांक 26/09/2013

ग्रा.वि.8(थ)-72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- निदेशक (अनुश्रवण), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, को उपरोक्त अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26.9.13

सचिव

ज्ञापांक 164540 पटना, दिनांक 26/09/2013

ग्रा.वि.8(थ)-72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26.9.13

सचिव

ज्ञापांक 164540 पटना, दिनांक 26/09/2013

ग्रा.वि.8(थ)-72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग / प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि प्रासंगिक कार्यवाही से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र ही विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि अगली बैठक की कार्रवाई ससमय की जा सके ।

26.9.13

सचिव

ज्ञापांक 164540 पटना, दिनांक 26/09/2013

ग्रा.वि.8(थ)-72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आयुक्त मनरेगा / सभी विभागीय पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26.9.13

सचिव

ज्ञापांक 164540 पटना, दिनांक 26/09/2013

ग्रा.वि.8(थ)-72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26.9.13

सचिव